न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः– **2017/275** दायरा दिनांक **03.10.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. शिवराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.	**बनाम्**	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88,राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री राजेश कुमार राखेचा, अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **23.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, स्थित है।जो वादी के पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत है।वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दावा के साथ पेश है।

स्व.पेमाराम के चार पुत्र प्रभुराम उर्फ भूराराम, बालूराम शिवराम व हडमानराम हुए स्व. पेमाराम के इन चार पुत्रों के अलावा अन्य कोई पुत्र नही हुए।

प्रार्थी गरीब व भोला–भाला किसान है। तथा ग्रम बावडी का स्थाई निवासी है। और गॉव मे अपने कब्जे काश्त की भूमि पर खेती करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता है।

मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा,जो हम चारो भाईयो के बन्टवारा होकर उपरोक्त खेत मुझ वादी को बन्ट में मिला है। जो वादी के पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत है।जिसमे वादी का नाम श्योरामाराम दर्ज है ।

वादी को बच्चपन मे श्योरामाराम व शिवराम दोनो नाम से जाना जाता था। तथा आज भी दोनो नाम से जानते है।गॉव के लोग अनपढं होने के कारण बोलने में शिवराम के स्थान पर श्योरामाराम कहने लग गये।

श्योरामाराम व शिवराम एक ही व्यक्ति के नाम है। जो वादी का ही नाम है।तथा वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, आदि मे शिवराम नाम दर्ज है। मगर उक्त खेतो की खातेदारी मे वादी का नाम श्योरामाराम दर्ज है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी ने राज्य सरकार की योजना के तहत खेत की खतौनी निकलाने पर पता चला कि वादी का नाम श्योरामाराम दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, के दस्तावेज आदि मे शिवराम दर्ज होने से वादी राज्य सरकार से समय –समय पर मिलने वाली योजना का लाभ नही उठा सकने के कारण तथा मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी मे वादी का नाम श्योरामाराम लिखा होने से वादी के जायज अधिकार खतरे मे पड. गये है।जिस हेतु वादी द्वारा यह घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है।

वादी अपना नाम मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी में श्योरामाराम के स्थान पर शिवराम दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना वादी है कि

मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी में वादी का नाम श्योरामाराम के स्थान पर शिवराम घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकार् द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–: आदेश :–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी में वादी का नाम श्योरामाराम के स्थान पर शिवराम घोषित किया जाता है,तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **23.01.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/275 दायरा दिनांक 23.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. शिवराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88,राज. काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 23.01.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेश कुमार राखेचा वादी की और से अधिवक्ता व श्री, प्रतिवादी, उप. की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा की शहरद के खेत ख.न. 393/132 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी में वादी का नाम श्योरामाराम के स्थान पर शिवराम घोषित किया जाता है,तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज.........–......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.....................–............. ......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.01.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:–275–2017 / रीडर / 2018 / 101 दिनांक 01/02/2018

प्रेषिति:–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88,राज. काश्तकारी अधिनियम

वादी		प्रतिवादीगण
1. शिवराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय व डीक्री की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner